

1589/9011



नि.अ. श्रीनगराजन

01CC 012468



विक्रय-पत्र

बिक्री 900000 / मालियत 2432000 / स्टाम्प 122000 /
लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण :

- | | | |
|-------------------|---|---------|
| 1. भूमि का प्रकार | - | कृषि |
| 2. परगना | - | नवावगंज |
| 3. ग्राम | - | ज्योरा |

विजोद कुमार

नि.अ. श्रीनगराजन

Mayanik gho



(3)

- | | | | |
|----|--------------------|---|----------|
| 7. | सड़क की स्थिति | - | कुछ नहीं |
| 8. | अन्य | - | चकमार्ग |
| 9. | पेडों का मूल्यांकन | - | कुछ नहीं |

विनोद कुमार

10/10/2020

10/10/2020



01CC 012465

- (4)
- | | | |
|------------------------|---|--------------------|
| 10. बोरिंग कुआं व अन्य | — | कुछ नहीं |
| 11. सरकारी दर | — | 200000 / प्रति हे० |
| 12. प्रतिफल की धनराशि | — | 90000 /— |

विनोद कुमार

10/3/2012

10/3/2012



0100

(5)

13. चौहददी दोनों नम्बरान आपस में मिले हैं:-पूरब आराजी नं0 252 आदि पश्चिम चकमार्ग उत्तर आराजी नं0 123 आदि दक्षिण आराजी नं0 251। —

विनोद कुमार

ले. २०. १०. १९५७

M. K. Jha

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



सत्यमेव जयते

FIVE HUNDRED
RUPEES

03 JAN 2013

RS 500

पाँच सौ रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 420325

(6)

प्रथम पक्ष संख्या -2 विक्रेता
का विवरण

1. विनोद कुमार
2. शिवनारायण
पुत्रगण सीताराम
निवासी ग्राम ज्योरी परगना
व तहसील नवाबगंज
जिला-बाराबंकी।
व्यवसाय-कृषि

द्वितीय पक्ष संख्या -1

क्रेता का विवरण

श्री अनिल कुमार ओझा
मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट
स्थित 324-कै0 राजेन्द्र नगर
(पश्चिमी) गोरखनाथ, गोरखपुर
प्रेसीडेंट ट्रस्ट श्री मयंक ओझा
पुत्र श्री सुधाकर ओझा निवासी
324 कै0 शहर व परगना
तहसील व जिला गोरखपुर।
व्यवसाय-कृषि,

पैन नं0 -AAKTSO814L

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये

FIVE HUNDRED
RUPEES

03 JAN 2019

Rs. 500
Chief Cashier/Cashier

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 42022

(7)

—: लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण :-

हम 1. विनोद कुमार 2. शिवनरायन पुत्रगण सीताराम निवासी ग्राम ज्योरी परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी, प्रथम पक्ष विक्रेता व श्री अनिल कुमार ओझा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट स्थित 324-के0, राजेन्द्र नगर (पश्चिमी) गोरखनाथ, गोरखपुर प्र.स. ट्रस्ट श्री मयंक ओझा पुत्र श्री सुधाकर ओझा निवासी 324-के0 राजेन्द्र नगर पश्चिमी गोरखनाथ, शहर व परगना तहसील व जिला गोरखपुर, द्वितीय पक्ष क्रेता—

विनोद कुमार

शिवनरायन

मयंक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 102875

(8)

हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। जो कि हम प्रथम पक्ष आराजी भूमिधरी नम्बरान जो स्थित ग्राम ज्योरी परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित है। जिसके प्रथम पक्ष निम्नलिखित विवरण के अनुसार पूर्णतया स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर हैं। जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है। --

दिनांक 25/11/2011

विजोद कुमार

M. J. Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 1028/0

(9)

अतः हम प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से निम्नलिखित आराजी को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु० 900000/नौ लाख रुपया जिसके आधे मु० 450000/चार लाख पचास हजार रुपये होते हैं, के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ विक्रय कर तथा कुल विक्रय मूल्य जरिये डी०डी० सं० 394457 दिनांक 03.02.2011 कार्पोरेशन बैंक शाखा गोरखपुर के द्वारा इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुके हैं। —

श्री. श्री. शिवनाथ

विनीत कुमार

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

28 JAN 2011

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 102877

(10)

अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से बिक्रीत भूमि पर द्वितीय पक्ष का पूर्ण कब्जा करा दिया। इकरार करते हैं कि अब आज से हम प्रथम पक्ष का कोई स्वत्व या सम्बन्ध बिक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा। द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है। जो चाहे करे व बिक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस बिक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से बिक्रीत भूमि या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व नुकसान निकल जावे तो उसकी पूर्ति व वापसी विक्रय मूल्य हजा व खर्चा न्यायालय सहित अर्थात् उसकी समस्त जिम्मेदारी हम प्रथम पक्ष पर होगी। —

विनोद कुमार

श्रीमान्

Mangal Singh

(11)

अस्तु, यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। बिक्रीत भूमि मुख्य सड़क या अन्य सड़क या खडन्जा पर नहीं है, परन्तु चकमार्ग के किनारे है। इसकी 0 से 200 मी० त्रिज्या मे आवासीय व व्यवसायिक व औद्योगिक गतिविधि नहीं है, बिक्रीत भूमि मे पेड़ व बोरिंग व कुआं व अन्य कोई निर्माण नहीं है। बिक्रीत भूमि प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति है। विवरण बिक्रीत भूमि आराजी नं० 253 रकबा 0.824हे० जिसका प्रथम पक्ष शिव नरायन पुत्र सीता पूर्णतया स्वामी है, जिसमें 0.549हे० भूमि को बेचा है व आराजी नं० 254 रकबा 0.783हे० जिसका प्रथम पक्ष विनोद कुमार पुत्र सीताराम पूर्णतया स्वामी है, जिसमें 0.508हे० भूमि को बेचा है, दोनों बिक्रीत भूमि का रकबा 1.057हे० भूमि को बेचा है, जिसकी मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 2000000 / रूपया प्रति हे० की दर से व चकमार्ग होने के कारण 15 प्रतिशत बढ़ाकर बिक्रीत भूमि की मालियत मु० 2432000 / होती है। जिस पर अधिसूचना आदेश संख्या स०वि०क०अ००८ 5-2756 / 11-2008-500 (165) / 2007 लखनऊ दिनांक 30 जून 2008 के अन्तर्गत मु० 122000 / रूपये का स्टाम्प अदा किया गया है।—

विनोद कुमार

शिव नरायन

Mayank

(12)

चौहददी दोनों नम्बरान आपस में मिले हैं:- पूरब आराजी नं0 252 आदि पश्चिम चकमार्ग उत्तर आराजी नं0 123 आदि दक्षिण आराजी नं0 251। विक्रीत भूमि मे कोई स्टाम्प बाद नहीं है तथा कोई मध्यस्थ नहीं है। लेखपत्र में स्टाम्प दयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजातों व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। उभय पक्षों ने प्रस्तुत लेखपत्र को पढ़/सुन व समझकर स्वीकार किया। ———

मानसिंह वर्मा द0न0

दिनांक 11.02.2011 ई0

विनोद कुमार

शिव 11/2/11

Mangal Singh

Anil Kumar
Memorial Estate

गोलाह-1 कृष्ण कान्त सिंह 5/0 श्री लाल साहल सिंह
759-11 राजेन्द्र नगर (पूर्वी) गोरखनाथ, गोरखपुर

गोलाह-2 सुरेश कुमार पाठक श्री गंगा चामुण्डा
पति - गंगा दामोदर (पति), गोलाह-2
110-21031

11 313
2011

44000

मानसिंह वर्मा

11/2/2011

रजिस्ट्रेशन अधिनियम- 1908 की धारा 32ए0 के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टर

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:-

मपेन कोडा

बायें हाथ की उंगलियों के निशान:-



दाहिने हाथ की उंगलियों के निशान:-



विक्रेता / क्रेता का नाम व पता -

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

M. S. J.

बायें हाथ की उंगलियों के निशान:-



दाहिने हाथ की उंगलियों के निशान:-



विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

राजिस्ट्रेशन अधिनियम- 1908 की धारा 32ए0 के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टर

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता का नाम व पता -

विनोद कुमार

दाहिने हाथ की उंगलियों के निशान -



बायें हाथ की उंगलियों के निशान -




विनोद कुमार

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर


विक्रेता / क्रेता का नाम व पता -

श्री. 3. शिव नारायण

दाहिने हाथ की उंगलियों के निशान -



बायें हाथ की उंगलियों के निशान -



श्री. 3. शिव नारायण
विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

नजरी नक्शा


भूमि स्थित ग्राम - जपोरी पर. १२६. नगरपालिका

विक्रीत खसरा नं 253, 254

विक्रेता - विनोद कुमार शर्मा

क्रेता :- प्रमोद अरिस्त

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समस्त परिसम्पत्तियों का विवरण ---



विक्रेता
विनोद कुमार शर्मा
पिन. ३ श्रीनारायण

क्रेता
Pradyumn Singh